रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17022023-243691
CG-DL-E-17022023-243691

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 708] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 17, 2023/माघ 28, 1944
No. 708] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 17, 2023/MAGHA 28, 1944

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली 17 फरवरी, 2023

का.आ. 738(अ).—विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) को व्यष्टियों और संगमों के कतिपय विधिविरूद्ध क्रियाकलापों के अधिक प्रभावी निवारण तथा आतंकवादी क्रियाकलापों से निपटने के लिए और उससे संबंधित विषयों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियमित किया गया है;

और, उक्त अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ड) के अनुसार, 'आतंकवादी संगठन' से उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची में सूचीबद्ध संगठन या इस प्रकार से सूचीबद्ध संगठन के रूप में समान नाम के अधीन क्रियाशील संगठन अभिप्रेत है;

और, उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची में इस प्रकार के आतंकवादी संगठनों की सूची अंतर्विष्ट है;

और, 'जम्मू और कश्मीर गजनवी फोर्स (जेकेजीएफ)' वर्ष 2020 में एक आतंकवादी संगठन के रूप में सामने आया और यह लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, तहरीक-उल-मुजाहिदीन, हरकत-उल-जिहाद-ए-इस्लामी आदि जैसे विभिन्न प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों से अपने काडरों को बनाता है;

और, जम्मू और कश्मीर गजनवी फोर्स (जेकेजीएफ), संघ राज्यक्षेत्र जम्मू-कश्मीर में घुसपैठ की कोशिशों, नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी और आतंकवादी हमलों को अंजाम देने में शामिल है;

और, जम्मू और कश्मीर गजनवी फोर्स (जेकेजीएफ) नियमित रूप से भारतीय सुरक्षा बलों को धमकियां देता है और संघ राज्यक्षेत्र जम्मू-कश्मीर के लोगों को विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म का उपयोग कर भारत के खिलाफ आतंकवादी संगठनों में शामिल होने के लिए, उकसाता है;

और, जम्मू और कश्मीर गजनवी फोर्स (जेकेजीएफ) की गतिविधियां भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के लिए हानिकारक है;

और, केंद्रीय सरकार का यह विश्वास है कि जम्मू और कश्मीर गजनवी फोर्स (जेकेजीएफ) आतंकवाद में संलिप्त है और यह भारत में आतंकवाद के विभिन्न कृत्यों में भाग लेता रहता है;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची में क्रम संख्यांक 42 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"43. जम्मू और कश्मीर गजनवी फोर्स (जेकेजीएफ) और इसके सभी रूप और फ्रंट संगठन ।"।

[फा. सं. 11034/16/2022-सीटी-I]

प्रवीण वशिष्ठ, अपर सचिव

टिप्पण : विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की पहली अनुसूची का अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्यांक का.आ. 85 (अ), तारीख 6 जनवरी, 2023 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 2023.

S.O. 738(E).—Whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations and for dealing with terrorist activities and for matters connected therewith;

And whereas, as per clause (m) of sub-section (1) of section 2 of the said Act, 'terrorist organisation' means an organisation listed in the First Schedule to the said Act or an organisation operating under the same name as an organisation so listed;

And whereas, the First Schedule to the said Act contains the list of such terrorist organisations;

And whereas, 'Jammu and Kashmir Ghaznavi Force (JKGF)' surfaced in the year 2020 as a terrorist outfit and it draws its cadres from various proscribed terrorist organisations, such as Lashker-E-Taiba, Jaish-E-Mohammed, Tehreek-ul-Mujahideen, Harkat-ul—Jehad-E-Islami, etc.;

And whereas, the 'Jammu and Kashmir Ghaznavi Force (JKGF)' is involved in infiltration bids, narcotics and weapon smuggling and carrying out terror attacks in the Union territory of Jammu and Kashmir;

And whereas, the 'Jammu and Kashmir Ghaznavi Force (JKGF)' regularly issues threats to Indian Security Forces and uses various social media platforms for inciting people of Union territory of Jammu and Kashmir to join terrorist outfits against India;

And whereas, the activities of 'Jammu and Kashmir Ghaznavi Force (JKGF)' are detrimental to the national security and sovereignty of India;

And whereas, Central Government believes that the 'Jammu and Kashmir Ghaznavi Force (JKGF)' is involved in terrorism and it has committed and participated in various acts of terrorism in India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby makes the following further amendments in the First Schedule to the said Act, namely:-

In the First Schedule to the said Act, after serial number 42 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

"43. Jammu and Kashmir Ghaznavi Force (JKGF) and all its manifestations and front organisations."

[F. No. 11034/16/2022/CT-I]

PRAVEEN VASHISTA, Addl. Secy.

Note : The First Schedule to the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 was last amended *vide* the notification number S.O. 85 (E), dated the 6th January, 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.02.17 16:36:00 +05'30'